मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 133-2799/1(3)/78 भोपाल, दिनांक 6th मार्च 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म०प्र०ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश

विषय:- शासकीय सेवकों को सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश अमान्य किये जाने के संबंध में ।

***

शासकीय सेवकों का सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश अमान्य किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन डी० क्रमांक 535/1583/1(3), दिनांक 6 अगस्त 1975 में यह व्यवस्था है कि केवल ऐसे शासकीय सेवक जिनका कि सेवा निवृत्ति के पूर्व तीन वर्ष का रिकार्ड बहुत अच्छा और उसके ऊपर की कोटि का हो उनका सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश लोक हित की आवश्यकताओं को देखते हुए अमान्य किया जाय ।

2/ उपर्युक्त निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों का सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश अमान्य किये जाने के लिए मूलभूत नियम 86 में जो मापदंड निर्धारित किये गये है उन्हें कड़ाई से लागू किया जाय । भविष्य में यदि कोई शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण सेवा निवृत्त होने वाला हो और वह सेवा निवृत्ति के पूर्व अवकाश लेना चाहता हो तो उसे केवल सार्वजनिक हित में उसकी सेवाओं की आवश्यकता होने पर ही सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश अमान्य किया जाय "सार्वजनिक हित में सेवा की आवश्यकता होने" का मापदण्ड सामान्यतया नीचे बताए गये दो उदाहरणों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है :-

(1) किसी न्यायाधीश या दंडाधिकारी को कोई जटिल प्रकरण के निराकरण का कार्य सौंपा गया है तो उसे सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए बीच में ही कार्यमुक्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उसके उत्तराधिकारी को उस प्रकरण को फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा ।

(2) किसी कर्मचारी को ऐसा कोई विशेष कार्य सौंपा गया हो जिसकी प्रतीक्षक कार्यवाही उसके द्वारा की गई हो तो वही उसे पूरा कर सकता है ।

3/ अभी ऐसा देखा गया है कि साधारणतया शासकीय सेवक का सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश अमान्य करने के लिए यही आधार लिया जाता है कि उसके अवकाश अवधि में अन्य शासकीय सेवक उसका कार्य उतनी दक्षतापूर्वक नहीं कर सकेगा । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक के सेवा निवृत्ति बाबत् जानकारी काफी समय पूर्व से विभाग को होती है और इसलिए उसके सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश पर जाने के कारण उसके कार्य की व्यवस्था समय पर ही कर लेने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके सेवा निवृत्त होने पर वह कार्य किसी अन्य शासकीय कर्मचारी द्वारा ही किया जाएगा ।

4/ इस संबंध में भारत सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारित की गयी नीति का उद्धरण भी नियुक्ति अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए संलग्न किया गया है ।

5/ सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से निवेदन है कि शासन के इस निर्णय का पालन सही रूप में कड़ाई से करें ।

(एन0आर0कृष्णन)
विशेष सचिव
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक 134 /2799/1(3)78 भोपाल, दिनांक 6th मार्च, 1979.

प्रतिलिपिः-

1- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश इन्दौर
सचिव राज्य सतर्कता आयोग, मध्य प्रदेश भोपाल

2- राज्यपाल के सचिव,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल

3- मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री गण/समस्त राज्यमंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(के0एन0 श्रीवास्तव)
अवर सचिव